न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(कल्पना अग्रवाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 15 / 2025
प्रविष्टि दिनांक 28.05.2025

शकंरलाल गुर्जर पुत्र रतनलाल गुर्जर निवासी भांवता तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज. उचित मूल्य दुकानदार भांवता तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज.

अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी टोंक राज.

रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 30.04.2025 जिला रसद अधिकारी टोंक

उपस्थितिः–

1. श्री सेतराम चौधरी, अभिभाषक –अपीलान्ट
2. पेराकार सरकार –रेस्पाडेन्ट

निर्णय

दिनांकः–23.09.2025

अपील अपीलान्ट का सांराश इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी टोंक ने आदेश दिनांक 30.04.2025 से श्री शकंरलाल गुर्जर,उचित मूल्य दुकानदार भांवता तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक का प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन मानते हुए अप्रार्थी डीलर की जमाशुदा सम्पूर्ण प्रतिभूत राशि 1000 रूपये जब्त सरकार करते हुये प्राधिकार पत्र को निरस्त किये जाने पर उक्त आदेश से अपीलान्ट व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पाडेन्ट की गई तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अपीलांट एंव पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 13.02.2025 में वर्णित तथ्यो का सही तरह से विवेचन नही किया है। राजनेतिक दबाव में आकर प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा जांच की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दू यह था कि निरीक्षण के दौरान 735 किलोग्राम गेहू कम मिला, जिसकी ताईद फर्द मौका के गवाह महेन्द्र पुरी व राधेश्याम ही कर सकते थे, परन्तु जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा उक्त दोनो व्यक्तियो के बयान नही लिये गये है। निरीक्षण के समय अपीलान्ट की दुकान पर गेहूँ कम नही था, जो स्टॉक मे उपलब्ध था वो सारा गेहूँ दुकान मे मोजूद था। दुकान मे 13,485 किलोग्राम गेहू मोजूद था,परन्तु जानबूझकर कम बताया गया है। निरीक्षण के वक्त डीलर उपस्थित नही था। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2016 से ही पोश मशीन द्वारा रसद सामाग्री का वितरण करने के दिशा–निर्देश पारित किये गये है तथा उक्त मशीन मे उपभोक्ता के आधार कार्ड व उसके अंगूठे का बायोमेट्रिक रूप से मिलान करने पर उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. आता है तथा जिसे उपभोक्ता द्वारा राशन

जिला कलेक्टर
टोंक

डीलर को बताने पर ही सामग्री दी जाती है। कम्प्यूटराईजड सिस्टम होने के कारण लेस मात्र भी कालाबाजारी की गुंजाईश नही रहती है। अपीलान्ट के विरूद्ध किसी भी उपभोक्ता द्वारा गेहूँ नही मिलने की तथा कार्य को सही ढंग से नही करने बाबत कोई शिकायत नही दी गई, यदि अपीलान्ट द्वारा कोई अनियमितता की जाती तो इस बात की शत–प्रतिशत संभावना थी कि कोई उपभोक्ता इस बात की शिकायत जरूर करता,परन्तु कोई अनियमितता नही थी फिर भी प्रर्वतन निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट का एक मात्र रोजगार का साधन यह दुकान है तथा अपीलान्ट के ऊपर पूरे परिवार के भरण–पोषण का दायित्व है। अपीलान्ट पर गबन व कालाबाजारी का कोई आरोप प्रमाणित नही है तथा अपीलान्ट के ऊपर ज्यादातर आरोप तकनीकी प्रकृति के है। विभागीय परिपत्र दिनांक 25.03.1994 के अनुसार तकनीकी अनियमितताओ बाबत राशन डीलर के विरूद्ध प्रकरण दर्ज नही किया जा सकता है। दुकान में 250 से ज्यादा संख्या मे कट्टे थे,जिनकी गणना सही तरीके से नही की गई है तथा ढेरियों के हिसाब से अनुमान लगाकर गिनती की गई है एंव जबरदस्ती 735 किलोग्राम गेहूँ कम बताया गया है,परन्तु वास्तविकता यह है कि जिस 735 किलोग्राम गेहूँ को कम बताया है वह मौके पर ही था। गणना सही नही की गई तथा यदि गणना सही की जाती तो उक्ते कट्टे मौके पर मिलते। इस बाबत अपीलांट की पत्नी ने निवेदन भी किया था, परन्तु सुनवाई नही की तथा यदि मौके पर गणना की वीडियोग्राफी की जाती तो भी सच्चाई सामने आ जाती तथा निरीक्षण करने वाले के पास इस सुविधा का मोबाईल भी था। अतः जिला रसद अधिकारी द्वारा गलत निर्णय पारित किया गया जिसे निरस्त किया जावे।

पेरोकार सरकार ने जवाबी बहस में कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक टोडारायसिंह द्वारा दिनांक 13.02.2025 को अप्रार्थी डीलर की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण करने पर डीलर द्वारा निम्नांकित अनियमितता करना पाया गया। स्टॉक रजिस्टर एवं प्राधिकार पत्र उपलब्ध नहीं करवाया गया। उचित मूल्य दुकान के बाहर कोई संकेत एवं स्टॉक प्रदर्शन हेतु कोई सूचना नहीं थी। पोस मशीन उपलब्ध नहीं कराई गई। औचक निरीक्षण के दौरान भौतिक सत्यापन में ऑन–लाईन रिकार्ड के अनुसार कुल 735 किलाग्राम गेहू कम पाया गया। उचित मूल्य दुकानदार का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सख्या 05,08 एवं 11 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त अनियमितता करने पर अप्रार्थी डीलर के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर कार्यालय आदेश क्रमाक अभियोजन /2025/299 दिनांक 14/02/2025 द्वारा डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर किया गया एवं कारण बताओ नोटिस क्रमाक/अभियोजन / 308 दिनांक 14/02/2025 जारी कर अनियमितता का आगामी सुनवाई दिनांक 28/02/2025 को स्पष्टीकरण चाहा गया। अप्रार्थी डीलर द्वारा दिनांक 28.02.2025 को बिन्दूवार जवाब निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया। स्टॉक रजिस्टर दुकान में रखे थे। दुकान के बाहर पेन्ट द्वारा लिखा हुआ है जिसका फोटो राजस्थान सरकार लिखा हुआ है। दुकान में वितरण चल रहा था अचानक पोश मशीन खराब हो गई थी जिसको दिखाने आया था इसलिए पोश मशीन उपलब्ध नहीं करवाई गयी। 230 कट्टे दुकान में बिल्टी स्टॉक रजि. 11458 किलोग्राम ऑनलाईन जांच अधिकारी को उपलब्ध करवा दी है। समस्त गेहूं अटेच डीलर को सम्भला दिया है। डीलर ने नोटिस के जवाब में अंकन किया है कि उसके द्वारा अटेच डीलर को गेहूँ सम्भला दिया गया है,परन्तु दुकान की जांच दिनाक 13.02.2025 को भौतिक सत्यापन में 735 किलोग्राम गेहूँ कम पाये गये थे। अप्रार्थी डीलर का कथन है कि उसके द्वारा अटेच डीलर को गेहूँ सम्भला दिये गये थे। बाद में अटेच डीलर को सामग्री सम्भलाना Reaction after action I.e. after thought की

न्यायालय जिला कलेक्टर (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

श्रेणी मे आता है। डीलर द्वारा वक्त निरीक्षण 735 किलोग्राम गेहूँ का गबन किया जाना पाया गया था। अप्रार्थी डीलर का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 8 व 11 का स्पष्ट उल्लघन है। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है। अपीलाण्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लधंन करने पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। अतः अपील अपीलाण्ट निरस्त की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रवर्तन अधिकारी टोडारायसिंह द्वारा दिनांक 13.02.2025 को अप्रार्थी डीलर की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण करने पर डीलर द्वारा निम्नांकित अनियमितताएं पाई गई। स्टॉक रजिस्टर एवं प्राधिकार पत्र उपलब्ध नहीं करवाया गया। उचित मूल्य दुकान के बाहर कोई संकेत एवं स्टॉक प्रदर्शन हेतु कोई सूचना नहीं थी। पोस मशीन उपलब्ध नहीं कराई गई। भौतिक सत्यापन करने पर उचित मूल्य दुकान में कुल 735 किलोग्राम गेहूँ स्टॉक में कम पाया गया। उक्त अनियमितता करने पर अप्रार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र को निलम्बित किया गया एवं अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी कर अनियमितता का बिन्दुवार जबाब मांगा गया। डीलर द्वारा दिनांक 28.02.2025 को बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है। स्टॉक रजिस्टर दुकान में रखे थे। दुकान के बाहर पेन्ट द्वारा लिखा हुआ है जिसका फोटो राजस्थान सरकार लिखा हुआ है। दुकान में वितरण चल रहा था अचानक पोश मशीन खराब हो गई थी जिसको दिखाने आया था इसलिए पोश मशीन उपलब्ध नहीं करवाई गयी। 230 कट्टे दुकान में बिल्टी स्टॉक रजि. 11458 किलोग्राम ऑनलाईन जांच अधिकारी को उपलब्ध करवा दी है। समस्त गेहूं अटेच डीलर को सम्भला दिया है। डीलर के उक्त जवाब को सन्तोषप्रद नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रवर्तन निरीक्षक ने फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 13.02.2025 मे मांगे जाने पर स्टॉक रजिस्टर नही दिया गया का उल्लेख किया है। पोश मशीन खराब होने की जानकारी डीलर द्वारा कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक/प्रवर्तन निरीक्षक टोडारायसिंह को देनी चाहिये थी। दुकान पर मूल्य सूची, स्टॉक सूचनाओं का इन्द्राज हो रखा था तो बोर्ड दुकान के बाहर लगा होना चाहिये था। इस प्रकार अप्रार्थी डीलर ने विभागीय दिशा–निर्देशों का स्पष्ट उल्लंधन किया है तथा 735 किलोग्राम गेहूँ का दुरूपयोग किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है,परन्तु जिला रसद अधिकारी की आदेशिका दिनाक 28.02.2025 व 28.03.2025 पर डीलर के हस्ताक्षर है,जिससे जाहिर होता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। गेहूँ के कट्टो की गणना सही नही की गई है। जिस 735 किलोग्राम गेहूँ को कम बताया है वह मौके पर ही था। गणना सही नही की गई,यदि गणना सही की जाती तो उक्ते कट्टे मौके पर मिलते इस बाबत अपीलांट की पत्नी ने निवेदन भी किया था,परन्तु सुनवाई नही की तथा यदि मौके पर गणना की वीडियोग्राफी की जाती तो भी सच्चाई सामने आ जाती। इस संबंध मे डीलर की पत्नी द्वारा तत्समय ही जांच अधिकारी के समक्ष लिखित मे आपत्ति कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हो। इस प्रकार का प्रार्थना पत्र पत्रावली मे उपलब्ध नही है। राजस्थान खाद्यान एंव अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन) 1976 मे उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण करते समय जांच अधिकारी द्वारा सामग्री की गणना करते समय वीडियोग्राफी की जावे का उल्लेख नही है।

जिला कलेक्टर

प्रवर्तन निरीक्षक टोडारायसिंह द्वारा दिनांक 13.02.2025 को डीलर की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण दो स्वतंत्र गवाह महेन्द्र पुरी व राधेश्याम तथा स्वंय की पत्नी (सीमा) की उपस्थिति मे किया गया है। फर्द मौका भौतिक सत्यापन दिनांक 13.02.2025 पर दोनो स्वतत्र गवाह व पत्नी के हस्ताक्षर है। सीमा स्वंय डीलर की पत्नी है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि गेहूँ के कट्टे की गणना दोनो स्वंतत्र गवाह व डीलर की पत्नी के समक्ष की गई है और सत्यापन के दोराने 735 किलोग्राम गेहूँ कम पाया गया है।

वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान पर डीलर द्वारा निम्नांकित अनियमितता करना पाया गया।

1– स्टॉक रजिस्टर एवं प्राधिकार पत्र उपलब्ध नहीं करवाया गया।

2– उचित मूल्य दुकान के बाहर कोई संकेत एवं स्टॉक प्रदर्शन हेतु कोई सूचना नहीं थी।

3– पोस मशीन उपलब्ध नहीं कराई गई।

4– औचक निरीक्षण के दौरान भौतिक सत्यापन में ऑनलाईन रिकार्ड के अनुसार कुल 735 किलाग्राम गेहू कम पाया गया।

अप्रार्थी डीलर द्वारा बदनियति से गेहूँ का उपभौक्ताओ को वितरण ना कर गम्भीर अनियमितता की है एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो की अवहेलना की है। चूकिं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य आम गरीब जन से जुडा हुआ है। आम उपभोक्ता की सहज मे सूचनाये अंकित होनी चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया गया है। उचित मूल्य दुकानदार ने राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वित्तरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सख्या 5,8.व 11 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः इसी आदेश की धारा 5,8 व 11 के तहत प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया। इस प्रकार उक्त आदेश मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी टोंक का आदेश दिनांक 30.04.2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज 23.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर